न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 38/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 08.06.2020
निर्णय दिनांक– 20.08.2020

1. श्री शांतिलाल पिता जगन्नाथ नाई, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री मनोहरलाल पिता जगन्नाथ नाई, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री कमलाशंकर पिता तुलसीराम तेली, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. श्री शंभुलाल पिता भैरूलाल नाई, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
5. श्री सुनिल पिता जगदीश नाई, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. श्री पन्नालाल पिता तुलसीराम तेली, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
7. श्री अशोक पिता रामनारायण ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
8. श्री गिरराज पिता रामनारायण ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
9. श्री बाबुलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
10. श्री शंभुलाल पिता झमकलाल ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)

11. श्री अशोक पिता मथुरालाल डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
12. श्री गोपाल पिता मथुरालाल डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
13. श्री मोहन पिता भेरा डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
14. श्री झमक पिता भेरा, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
15. श्री दौलतराम पिता गुलाब डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
16. श्री भैरू पिता बगदीराम डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
17. श्री रमेश पिता बालूराम डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
18. श्री दिनेश पिता बालूराम डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
19. श्री भंवर पिता नन्दलाल डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
20. श्री कन्हैयालाल पिता नन्दलाल डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
21. श्री बाबूलाल पिता मांगीलाल डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
22. श्री शिवलाल पिता मांगीलाल डांगी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
23. श्री सुरेश पिता मोहन धोबी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)

24. श्री गोपाल पिता शांतिलाल ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
25. श्री मनोहर पिता भुवानीराम ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
26. श्री प्रहलाद पिता सीताराम ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
27. श्री भगवती पिता जगदीश बैरागी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
28. श्री बिहारीदास पिता ऊकारदास बैरागी, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
29. श्री पन्नालाल पिता शांतिलाल प्रजापत, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
30. श्री हीरालाल पिता शांतिलाल प्रजापत, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
31. श्री दिनेशचन्द्र पिता चतुर्भुज ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
32. श्री घनश्याम पिता चतुर्भुज ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
33. श्री महेश पिता चतुर्भुज ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
34. श्री शिवशंकर पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
35. श्री नन्दलाल पिता सीताराम ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
36. श्री नन्दकिशोर पिता राधेश्याम प्रजापत, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)

37. श्री पुष्कर पिता सालगराम प्रजापत, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
38. श्री चेतन पिता दाऊदयाल ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)
39. श्री ललित नारायण पिता कृष्णचन्द शुक्ला ब्राह्मण, निवासी अमलावद, तहसील जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. ग्राम पंचायत अमलावद जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अमलावद, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री कमलेश चौहान : अधिवक्ता अपीलान्ट (अपीलांट सं 1 से 4, 6 से 10, 24,32 से 34,37)
राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक
राजस्व/30/79/1408–10 दिनांक 02.04.1985

निर्णय

दिनांक–20.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/30/79/1408–10 दिनांक 02.04.1985 के विरूद्ध दिनांक 07.02.2019 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

81 जा. दी के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 08.06.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/30/79/1408–10 दिनांक 02.04.1985 से मौजा अमलावद की बिलानाम आराजी नम्बर 403/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा जो बिलानाम सरकार थी को चरागाह में एवं आराजी नम्बर 101 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व आराजी नम्बर 176 किता 2 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि को परिवार्तित किये जाने के आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान अपीलांट संख्या 1 से 4, 6 से 10, 24, 32 से 34 की और से उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक एंव उपस्थित हुए। अपीलांट संख्या 5, 11 से 23, 25 से 30 एवं 35 से 39 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 13.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा अमलावद की साबिक आराजी नम्बर 403/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि आबादी से लगी हुई है, व उस भूमि ग्रामवासियान एवं अपीलांटगण के बाडे बने हुए थे। उक्त बाडों में से कई व्यत्यिों को रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा आबादी भूमि के निकट होने से बाडा आवंटन पत्र जारी किया गया जिसके आधार पर अपीलांटगण व ग्रामवासियान काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण को

सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी के प्रस्ताव पर साबिक आराजी नम्बर 403/1 जिसके नवीन आराजी नम्बर 774 से 790 कायम किये गये को चरागाह में दर्ज कर दी गयी, उक्त भूमि चरागाह दर्ज किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर 21.01.2019 को अपीलांटगण को अपने मकानों से बेदखल किये जाने का आदेश/निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जो विवादित होकर निरस्त योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/30/79/1408–10 दिनांक 02.04.1985 के द्वारा मौजा अमलावद की साबिक आराजी नम्बर 403/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा बिलानाम से चरनोट में परिवर्तन कराने के आदेश को निरस्त कराने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि बताया कि उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ की प्रस्ताव पर मौजा अमलावद की आराजी नम्बर 403/01 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा चरनोट से बिलानाम एवं बिलानाम से चरनोट के आपसी परिवर्तन किया गया है, जो नियमानुसार है। उपरोक्त भूमि पूर्व में श्री बिहारीदास भूतपूर्व सैनिक निवासी अमलावद को पूर्व में आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण कब्ज नही दने के फलस्वरूप आवंटित किये जाने हेतु परिवर्तित की गई है। अतः उक्त परिवर्तन नियमानुसार किया गया है, अपील अपीलांट अस्वीकार किया जाने का निवेदन है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.04.1985 के विरूद्धइस अपीलीय न्यायालय में दिनांक 07.02.2019 को अर्थात करीब 33 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। अपीलांट द्वारा दफा 5 जाप्ता मयाद आवेदन में यह वर्णित किया है कि अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज होने से तथा उन्हें दिनांक 21.01.2019 को बेदखल कर आदेश पारित करने से से निर्णय की जानकारी हुई है। अपीलांट द्वारा इस प्रकार के कोई बेदखली आदेश की प्रति पेश नही की है जिससे उन्हे 33 वर्ष पुराने इस निर्णय की जानकारी प्रथम बार वर्ष 2019 में होना प्रकट आता हो। 33 वर्षो के मयाद कण्डोन किये जाने के अपीलांट द्वारा दिया

गया दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त नही होने से अपील मयाद बाहर होने से ही खारिज योग्य है।

हालाकि अपील अवधि बाधित है फिर भी अपीलांट द्वारा पेशशुदा 96 जा. दी. के आवेदन में उसके द्वारा यह वर्णित किया गया कि यह बिलानाम भूमि चरागाह में दर्ज होने से पूर्व आबादी से लगी हुई होकर अपीलांट की उपयोग–उपभोग में आ रही थी तथा आबादी विस्तार हेतु आवश्यक थी। आश्चर्यजनक रूप अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के आबादी कि निकट होने, अपीलांट के परिवार के उपयोग में आने या आबादी विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित होने की कोई साक्ष्य पेश नही की है जिससे अपीलांट को आवश्यक हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होना नही माना जा सकता एंव तद्नुसार अपीलांट को यह अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा हनी दी जा सकती है। अपीलांट का दफा 96 जा. दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट मयाद बाहर एवं दफा 96 जा. दी. का आवेदन स्वीकृत नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाते है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर